2.6 करोड़ हैक्टर बंजर भूमि को बनाया जाएगा उपजाऊ

हमारे देश में कृषि पैदावार बढ़ाने में मरुस्थलीकरण एवं भू-अपक्षरन मुख्य बाधाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2050 तक 1.7 अरब तक पहुंच जाने का अनुमान है। विश्व में लगभग 2 अरब हैक्टर भूमि का विनाश हो चुका है, जो भारत के क्षेत्रफल से तीन गुना अधिक है, किन्तु इसे वापस उपजाऊ बनाया जा सकता है। भारत उन पहले देशों में शामिल है, जिन्होंने भूमि की उपजाऊ क्षमता नष्ट होने से बचाने के 2030 सतत् विकास लक्ष्य के प्रति संकल्प व्यक्त किया था।

मरुस्थलीकरण एक विश्वव्यापी समस्या है, जिससे 250 मिलियन लोग और भूमि का एक तिहाई हिस्सा प्रभावित है।

1996 में हुई थी यूएनसीसीडी की शुरूआत

यूएनसीसीडी सम्मेलन की शुरूआत दिसंबर, 1996 में हुई थी। यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) और जैविकीयविविधता पर सम्मेलन (सीबीडी) के साथ तीन रियो सम्मेलनों में से एक है। भारत ने यूएनसीसीडी पर 14 अक्टूबर, 1994 को हस्ताक्षर किए थे और 17 दिसंबर, 1996 को इसकी पुष्टि की थी। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य प्रभावित इलाकों में दीर्घकालिक समेकित रणनीतियों को शामिल करना है, जिनकी मदद से प्रभावित इलाकों में, भूमि की बेहतर उत्पादकता और पुनर्वास, संरक्षण और भूमि तथा जल संसाधनों के निरंतर प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जा सके। इस प्रकार उन देशों में मरुस्थलीकरण से निपटा जा सके और सूखे के प्रभावों को कम किया जा सके, जहां भयंकर सूखा पड़ता है अथवा मरुस्थलीकरण है। इससे रहन-सहन की स्थितियों में खासतौर से सामुदायिक स्तर पर पर सुधार होगा। यूएनसीसीडी, मरुस्थलीकरण रोकने और उर्वर क्षमता खो चुकी भूमि से निपटने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इसका मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने अगले दस वर्षों में उर्वर क्षमता खो चुकी 2.6 करोड़ हैक्टर बंजर भूमि को उर्वर भूमि में बदलने का संकल्प लिया है।

भारत ने मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र मरुस्थीकरण नियंत्रण समझौता (यूएनसीसीडी) के 14वें सम्मेलन कान्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी 14) की मेजबानी की है। ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 2 से 13 सितम्बर, 2019 तक इसका आयोजन किया गया।

11 दिवसीय इस सम्मेलन में 196 देशों के प्रतिनिधियों ने अपनी विशेषज्ञता और उसे साझा करने के साथ अपने लक्ष्यों को हासिल करने के संबंध में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किए। इनमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय वैज्ञानिक, विभिन्न देशों की सरकारों के प्रतिनिधि, दुनिया के प्रमुख उद्योगपति, एनजीओ, प्रकृति से जुड़े संगठन, युवा समूह, पत्रकार तथा सामुदायिक समूह शामिल थे। भारत दो वर्ष तक वर्तमान कान्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी 14) का अध्यक्ष है।

चार कारणों से भूमि का हो रहा क्षरण

भूमि के क्षरण के चार बड़े कारणों में से एक प्राकृतिक आपदाएं हैं। इनमें सूखा, बाढ़, कम समय में ज्यादा बारिश और अन्य मौसमी घटनाएं शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्वभर से जुटाए गए आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट 'लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रीलिटी टारगेट सेटिंग' के अनुसार भूमि की बर्बादी के चार बड़े कारण हैं। इनमें पहला कारण वनों का अंधाधुंध कटान है। दूसरा कारण आबादी में इजाफा और संरचनात्मक ढांचे में बदलाव आना है। तीसरा बड़ा कारण कृषि योग्य भूमि का सही प्रबंधन नहीं होना और

बढ़ती बंजर भूमि

इन कारणों से बंजर हो रही जमीन

- 10.96 प्रतिशत भूमि का पानी से कटान
- 5.55 प्रतिशत भूमि का हवा द्वारा कटान
- 0.69 प्रतिशत भूमि की खुदाई और शहरीकरण
- 8.91 प्रतिशत भूमि वनस्पतियों के खत्म किए जाने से
- 1.12 प्रतिशत भूमि पानी में खारापन बढ़ने के कारण
- 2.07 प्रतिशत भूमि जलभराव, पाला पड़ने व लोगों के चले जाने से

खेती के पुराने तौर-तरीकों का जारी रहना है। चौथा कारण मौसम की अतिवादी घटनाएं हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण मौसम ने पूरी दुनिया में खराब रुख धारण किया है, जिसका असर भूमि पर भी दिख रहा है।

क्या है बंजर भूमि

बंजर जमीन को ऐसी भूमि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो सूख जाती है और क्षेत्र से नमी खत्म हो जाती है। यह क्षेत्र अपनी वॉटर बॉडीज को खो देता है। इसके साथ ही वनस्पति और वन्यजीव भी नष्ट हो जाते हैं। बंजर जमीन कृषि कार्यों के लिए उपयोगी नहीं रहती। जमीन आमतौर पर पानी की कमी के कारण बंजर होती है।

मरुस्थलीकरण के परिणाम

'भारत के पर्यावरण की स्थिति-2019' नामक रिपोर्ट के अनुसार देश के 86 जल निकाय गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुके हैं। 3 राज्य कर्नाटक, तेलंगाना और केरल में पानी सबसे दूषित हो गया है, जिसके कारण 11 खतरनाक रोग जैसे डेंगू आदि प्रत्येक वर्ष तेजी से फैल रहे हैं। ■

प्रस्तुतिः-अश्विनी कुमार निगम